न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/75/2013

उनवान

1. सुवा जान पत्नि मांगी लाल कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. हरकेशु पिता मांगी लाल कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. कमली पुत्री मांगी लाल कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. सुवा पिता प्यारा कंजर, निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा मृतक के बजायः—
   3/1 श्रीमति कमली पत्नि सुवा कंजर निवासी चितावडा
   3/2 मु0नन्दू पुत्री सुवा कंजर निवासी चेंची तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
4. घनश्याम पिता मल्ला कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. रामनारायण पिता मल्ला कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. छोटू पिता मल्ला कंजर निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 106/2010 (78/03) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.8.2012

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर सी चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विकास जायसवाल,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चितावडा पटवार हल्का चांद जी की खेडी राजस्वग्राम में आराजी संख्या 164 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादिया को जरिये आवंटन प्रदान की गई। आवंटन के बाद सारी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात वादिया के पक्ष में पट्टा जरिये मिसल संख्या 510/89 को जारी किया गया। वादिया एवं वादिया के परिवार ने आवंटित भूमि को मेहनत कर काश्त योग्य बनाया एवं वादिया का पूरा परिवार वादग्रस्त आवंटित आराजी पर ही निर्भर है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है एवं न ही उनका कब्जा ही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का का कोई व्यक्ति वादी की जानकारी में ग्राम चितावडा व आस–पास वाले गांव में नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मात्र कागजी नाम होकर फर्जी तौर पर राजस्व अभिलेखों में वादिया के स्थान पर बहैसियत काश्तकार दर्शाये जाकर निवासी साकिन देह चितावडा बतया गया है जो एक कूटरचित फर्जी इन्द्राज है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जो कि काल्पनिक व्यक्ति है इसलिए उनकी खातेदारी समाप्त की जाकर वादिया को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 तक ने पटवारी हल्का चांद जी की खेडी के साथ कुसंयोजन कर वर्तमान जमाबंदी में हो रही सहवन इन्द्राज का बेजा फायदा उठाने के लिए दिनांक 19.5.2003 को मौके पर वादग्रस्त जायदाद पर पत्थर डालना शुरू कर दिया क्योंकि यह भूमि व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाने के कारण प्रतिवादी नम्बर 3व 4 तक जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं व वादिया को जायदाद से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का कृषि स्वरूप समाप्त कर भूमि का व्यावसायिक रूपान्तरण करने पर उतारू हैं। जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को वादिया के पक्ष में जारी पट्टा दिखाये जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 से 6 तक वादग्रस्त भूमि पर पत्थर डालने व नीवें खोदने तथा मजदूरों व कारीगर लगाकर भूमि को गैर कानूनी ढंग से स्वामी बताकर भूमि को बेचने पर आमादा हैं।

2. दिनांक 20.5.2003 को वादिया के पति मांगी लाल ने प्रतिवादी नम्बर 7 के यहॉ आवेदन प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का चांद जी की खेडी को कार्यवाही करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 7 ने दिनांक 20.5.2003 को लिखा । पटवारी हल्का ने प्रतिवादी नम्बर 7 के आदेश के बावजूद प्रार्थना पत्र को फेंक दिया । वादिया अपने पति के साथ पुनः दिनांक 21.5.2003 को प्रतिवादी नम्बर 7 के कार्यालय में गई तो प्रतिवादी नम्बर 7 ने वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादिया को वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा । अतः मौजा चितावडा स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से काल्पनिक खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की समाप्त की जाकर वादिया को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नम्बर 7 के विरूद्ध डिक्री बहक वादिया पारित की जावे कि विकल्प में यदि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कोई वर्चस्व भी स्थापित हो तो उनके विरूद्ध भी घोषणात्मक डिक्री इसी आशय की प्रदान कराई जावे। प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 तक को वादिया के वैध स्वामित्व व कब्जे की जायदाद में प्रवेश नहीं करने भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करने व नष्ट नहीं करनेहेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.8.2012 को पारित किया गया , जिसके साथ कोई डिक्री मूर्तिब नहीं की गई एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के बाद नये पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय अनुसार डिक्री दिनांक 7.1.2013 को तैयार की गई। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होते ही दिनांक 21.2.2013 को अपीलाण्ट ने डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। इस प्रकार उक्त प्रति प्राप्त होने की दिनांक से यह अपील नियमानुसार प्रचलित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय दिनांक 29.8.2012 से अपील की मियाद की गणना करने पर डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक 21.2.2013 तक की अवधी को कण्डोन किया जावे ।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.8.2012 को पारित किया जिसके साथ कोई डिक्री नहीं बनाई गई तथा इसके पश्चात डिक्री दिनांक 7.1.2013 को बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाण्ट/वादिया का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य था एवं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर वाद पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/वादिया की ओर से वाद पत्र में अंकित अभिकथनों के समर्थन में अपने स्वयं के बयान कराये एवं आवंटन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 68 व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार अपीलाण्ट/वादिया की अखण्डित साक्ष्य से वाद पत्र में अंकित अभिकथन पूर्णतया साबित होकर उसके वाद पत्र को डिक्री किये जाने के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प ही नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के तथ्यों का मनमाना विवेचन करते हुए एवं वादिया की अखण्डित साक्ष्य को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए वाद पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/वादिया को आवंटित भूमि के संदर्भ में नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 22.6.2000 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है , जो सुवाजान को मृतक बताकर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला जाना प्रकट हुआ है। जबकि ग्राम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

चितावडा में अपीलाण्ट/वादिया के अलावा अन्य कोई सुवाजान नहीं है तथा अपीलाण्ट/वादिया जीवित होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसके वारिस नहींहै। इस प्रकार काल्पनिक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोले गये नामान्तरकरण पर विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कथित नामान्तरकरण संख्या 122 के फर्जी होने बाबत वादिया की ओर से कोई रेकार्ड पेश नहीं करना अंकित करते हुए वाद पत्र को खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का कोई आवंटन नहीं हुआ एवं अपीलाण्ट जीवित होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 उसके वारिस नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 122 की कार्यवाही प्रथमतः फर्जी होना प्रमाणित होकर अपीलाण्ट/वादिया का वाद डिक्री किये जाने योग्य था। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलाण्ट/वादिया का वाद पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गई है।

9. अपीलाण्ट/वादिया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 22.3.2006 को तनकियात कायम की तथा तनकी कायम करने के पश्चात वादिया व उसके गवाह के बयान लेखबद्ध कराये गये । प्रतिवादीगण की ओर से उनके स्वयं व अन्य किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं कराये गये । इस प्रकार मामले में कायम की गई तनकीवार साक्ष्य एवं अभिकथनों का न तो कोई विवेचन किया गया है और मामले का अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार कोई निस्तारण नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर तथ्यों का विवेचन करते हुए वादिया के वाद पत्र को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10. अपीलाण्ट/वादिया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.8.2012 को पारित किया गया , जिसके साथ कोई डिक्री मूर्तिब नहीं की गई एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के बाद नये पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय अनुसार डिक्री दिनांक 7.1.2013 को तैयार की गई। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होते ही दिनांक 21. 2.2013 को अपीलाण्ट ने डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। इस प्रकार उक्त प्रति प्राप्त होने की दिनांक से यह अपील नियमानुसार प्रचलित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.8.2012 एवं डिक्री दिनांक 7.1.2013 को अपास्त की जाकर अपीलाण्ट/वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट/वादिया निर्णय एवं डिक्री वादिया के पक्ष में पारित की जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की माता के नाम आवंटित हुई थी। जिनकी मृत्यु होने के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 के नाम पर खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

12. हमनें अधिवक्ता (प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम डिलिट किये जाने एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से)अपीलाण्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 1 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आवंटन का आदेश की मूल प्रति है। जिसके अनुसार अपीलार्थीया/वादिया श्रीमति सुवाजान पत्नि मांगी लाल कंजर निवासी चितावडा तहसील माण्डलगढ को ग्राम चांद जी की खेडी की आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ । जिसका इन्द्राज प्रदर्श 2 नामान्तरकरण पंजिका चितावडा में किया गया है। आवंटन से पूर्व उक्त आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में किस्म बंजड दर्ज होने की पुष्टि होती है। जमाबंदी खतौनी ग्राम चितावडा संवत 2058 से 2061 में वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 1 व के नाम पर जमाबंदी खेवट खतौनी की फोटो प्रति के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 हरकेशु एवं कमली पुत्री मांगी लाल कंजर के नाम नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 22.6.2000 द्वारा गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 के नाम आने से पूर्व वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के परिवार के किस सदस्य के नाम दर्ज रही थी एवं उनके नाम पर किस अधिकार से दर्ज की गई । इसके संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम सुवाजान की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण से दर्ज होना मानकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने ऐसा कोई मृत्यु प्रमाण पत्र सुवाजान का प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सुवाजान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की माता रही हो एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त विधिसम्मत तरीके से बाद जांच राजस्व रेकार्ड (नामान्तरकरण पंजिका) में इसका अंकन किया हो । इस प्रकार की नामान्तरकरण पंजिका की सत्य प्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा गवाहान के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं कराये हैं जिससे वादग्रस्त

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के परिवार में पूर्व में कभी आवंटित हुई हो अथवा पुश्तैनी रही हो इसकी पुष्टि होती हो । इसके विपरीत अपीलार्थीया/वादिया ने कथन किया कि सुवाजान नामक कोई अन्य महिला अथवा प्रत्यर्थी संख्य 1 व 2 नाम के कोई व्यक्ति चितावडा में निवास नहीं करते है। इसके खण्डन में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनका ग्राम चितावडा निवास होना अथवा पूर्व में निवास होना प्रमाणित होता हो।

13. इसके विपरीत अपीलार्थीया/वादिया ने स्वयं के मत पहचान पत्र की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है। वह स्वयं ही वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 नाम के अपीलार्थीया/वादिया के कोई संतान नहीं है। इसकी पुष्टि गवाहान के बयान से भी होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का अवलोकन किये बिना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है एवं यह अंकन किया है कि वादिया ने यह साबित नहीं कराया है कि नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 22.6.2000 फर्जी है एवं इस नाम के कोई व्यक्ति गांव में मौजूद नहीं है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से भी इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम वादग्रस्त आराजियात नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 22.6.2000 से पूर्व का दस्तावेज प्रत्यर्थी /प्रतिवादी से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज को किस अधिकार से प्राप्त हुई थी एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

उनका वादग्रस्त आराजियात में किस प्रकार से हक अधिकार निहित हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2046 में वादग्रस्त आराजियात 164 का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म बंजड दर्शाया गया है। जिसका आवंटन अपीलार्थीया वादिया को किया गया है। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं मानाजा सकता है कि आराजी नम्बर 164 बडा रकबा था एवं उसका जुज भाग ही अपीलार्थीया/वादिया को आवंटित किया गया हो। जब वादग्रस्त आराजी नम्बर 164 का कुल रकबा ही 1 बीघा 18 बिस्वा था तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/प्रतिवादी का हक अधिकार अपीलार्थीया/वादिया के जीवित रहते हुए किस प्रकार निहित किया गया । इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.8.2012 एवं डिक्री दिनांक 7.1.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रकरण में पूर्ण रूप से जांच करने के उपरान्त अज सिरे नो गुणावगुण के आधार पर विस्तृत तनकीवाईज निर्णय पारित करे।

15. निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा